7

7.1	नाबार्ड द्वारा पर्यवेक्षित संस्थाएँ
7.2	पर्यवेक्षी व्यवस्था: विव 2024 में प्रमुख परिवर्तन
7.3	अन्य पर्यवेक्षी पहलें
7.4	सूचना प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा पहलें
7.5	आगे की राह
	अध्याय 7 का परिशिष्ट

नाबार्ड की पर्यवेक्षी भूमिका

नाबार्ड की पर्यवेक्षी भूमिका केवल निगरानी तक सीमित नहीं है, इसमें वित्तीय समावेशन के साथ-साथ पर्यवेक्षित संस्थाओं के व्यवसाय में विस्तार भी शामिल है.

वित्तीय प्रणालियाँ स्थिरता और जनविश्वास के आधार पर सफलता अर्जित करती हैं. संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की सुरक्षा, जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा और प्रणाली का व्यवस्थित कामकाज सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी पर्यवेक्षण अनिवार्य है. ग्रामीण वित्तीय परिदृश्य में भारत की शीर्ष संस्था के रूप में नाबार्ड महत्वपूर्ण पर्यवेक्षी जिम्मेदारी का निर्वहन करता है जिसके अंतर्गत ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं का मात्र निरीक्षण ही नहीं किया जाता बल्कि उससे आगे बढ़ कर उनकी वित्तीय समावेशन और व्यवसाय विस्तार संबंधी भूमिकाओं में सहयोग देने की प्रतिबद्धता को मूर्त रूप देने का कार्य किया जाता है. नाबार्ड एक मार्गदर्शक शक्ति के रूप में भी कार्य करता है, जो उन बैंकों की सहायता करता है जो विनियामक मानदंडों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं ताकि, वे अपनी कार्यप्रणालियों में सुधार कर सकें और फिर से अच्छी वित्तीय स्थिति तथा संधारणीयता प्राप्त कर सकें.

7.1 नाबार्ड द्वारा पर्यवेक्षित संस्थाएँ

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (क्षेग्रा बैंक) और ग्रामीण सहकारी बैंक (ग्रास बैंक) दो महत्वपूर्ण ग्रामीण वित्तीय संस्थाएँ हैं जो ग्रामीण भारत में वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. क्षेग्रा बैंकों और ग्रास बैंकों को क्रमश: बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35(6) और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित और नाबार्ड द्वारा पर्यवेक्षित किया जाता है. नाबार्ड आवधिक रूप से पर्यवेक्षित संस्थाओं का निरीक्षण करता है, जिसमें राज्य सहकारी बैंकों (रास बैंक) और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (जिमस बैंक) का सांविधिक निरीक्षण और राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (रासकृग्रावि बैंक), शीर्ष बुनकर समितियों, विपणन महासंघों आदि का स्वैच्छिक निरीक्षण शामिल है (चित्र 7.1-7.2 और परिशिष्ट में चित्र अ7.1-अ7.3).

चित्र 7.1: ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं की संरचना

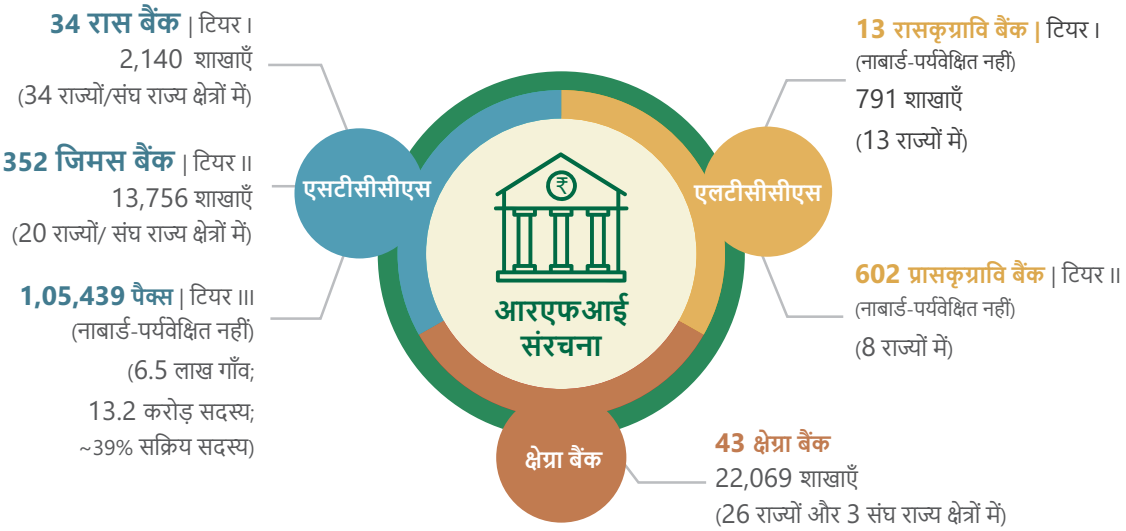

जिमस बैंक = जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक, एलटीसीसीएस = दीर्घावधि सहकारी ऋण संरचना, पैक्स = प्राथमिक कृषि ऋण समिति, प्रासकृग्रावि बैंक = प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, आरएफआई = ग्रामीण वित्तीय संस्थाएँ, क्षेग्रा बैंक = क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, प्रासकृग्रावि बैंक = राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, रास बैंक = राज्य सहकारी बैंक, एसटीसीसीएस = अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना.

नोट:

- 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार पर्यवेक्षित संस्थाओं की संख्या
- पैक्स और प्रासकृग्रावि/रासकृग्रावि बैंक पर्यवेक्षित संस्थाओं में नहीं आते हैं.
- 31 मार्च 2024 की स्थिति में पैक्स की संख्या (स्रोत: राष्ट्रीय सहकारिता डेटाबेस).
- 34 रास बैंकों में निम्नलिखित शामिल हैं:
  - ◇ 24 रास बैंक जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में अनुसूचित रास बैंक हैं, और
  - ◇ दमन और दीव रास बैंक (जिसे मार्च 2024 में लाइसेंस प्राप्त हुआ).
- 352 जिमस बैंकों में तमिलनाडु इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (टीएआईसीओ) शामिल है. मलप्पुरम जिमस बैंक का केरल रास बैंक में विलय हो चुका है, लेकिन मामला अभी न्यायालय के विचाराधीन है.

- विभिन्न राज्यों की सहकारी ऋण संरचनाओं में भिन्नताएँ हैं. सभी राज्य सहकारी ऋण संरचनाएँ त्रिस्तरीय नहीं हैं, कुछ राज्यों में द्विस्तरीय संरचना भी है.
- 13 कार्यशील रासकृग्रावि बैंकों में से
  - 5 एकात्मक (अर्थात् सीधे ऋण देने वाले) हैं, नामतः गुजरात, जम्मू और कश्मीर, पुदुच्चेरी , त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश;
  - 6 संघात्मक (अर्थात् प्रासकृग्रावि बैंकों के माध्यम से ऋण देने वाले) हैं, नामतः हरियाणा, कर्नाटक, केरल, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु;
  - 2 मिश्रित प्रकृति के (अर्थात् प्रासकृग्रावि बैंकों के माध्यम से तथा सीधे भी ऋण देने वाले) हैं, नामतः हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल.
- दीर्घावधि सहकारी ऋण संरचना
  - बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधान इन संस्थाओं पर लागू नहीं हैं.
  - उनकी पहुँच अल्प-लागत जमाओं तक नहीं हैं.
  - वे ऋण देने हेतु उधार ली गई धनराशि पर अत्यधिक निर्भर हैं.
- क्षेग्रा बैंक
  - 43 क्षेग्रा बैंक 12 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रायोजित हैं.
  - जिन संघ राज्य क्षेत्रों में क्षेग्रा बैंक कार्यरत हैं उनमें पुदुच्चेरी , जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख शामिल हैं.
  - क्षेग्रा बैंक की 92% शाखाएँ ग्रामीण/अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं.
  - गोवा और सिक्किम राज्यों में कोई क्षेग्रा बैंक नहीं हैं.

चित्र 7.2: वित्त 2024 में नाबार्ड द्वारा पर्यवेक्षण

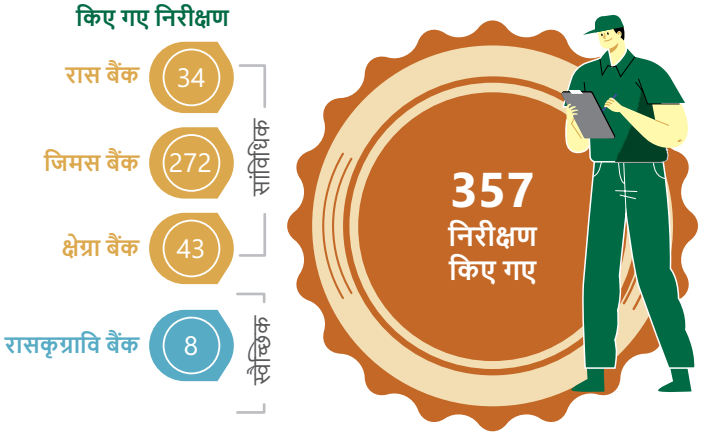

जिमस बैंक = जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक, क्षेग्रा बैंक = क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रासकृग्रावि बैंक = राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, रास बैंक = राज्य सहकारी बैंक.

नोट:

- जिमस बैंक में तमिलनाडु इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड शामिल है.
- 31 मार्च 2023 की स्थिति के संदर्भ में पर्यवेक्षित संस्थाओं का पर्यवेक्षण वित्त2024 के दौरान किया गया.

7.2 पर्यवेक्षी व्यवस्था: वित्त 2024 में प्रमुख परिवर्तन

7.2.1 उन्नत कैमलएससी पद्धति का क्रियान्वयन

उन्नत अर्थात् एन्हेन्स्ड कैमलएससी (ई-कैमलएससी) जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण संरचना की ओर परिवर्तन की दिशा में नाबार्ड द्वारा उठाया गया एक अंतरिम पर्यवेक्षी कदम है (बॉक्स 7.1).[1]

बॉक्स 7.1: उन्नत कैमलएससी

ई-कैमलएससी मॉडल पर्यवेक्षित संस्थाओं के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करने हेतु गुणात्मक और मात्रात्मक संकेतकों पर आधारित एक जोखिम प्रबंधन प्रणाली स्थापित करता है जो संस्थागत मजबूती सुनिश्चित कर सके. 1 अप्रैल 2023 से 194 पर्यवेक्षित संस्थाओं हेतु ई-कैमलएससी रेटिंग मॉडल शुरू किया गया जिसमें क्षेग्रा बैंक (43), अनुसूचित रास बैंक (24), चुने हुए गैर-अनुसूचित रास बैंक (7) और जिमस बैंक (120) शामिल हैं. विव 2025 के दौरान, ई-कैमलएससी के अंतर्गत 142 बैंकों का निरीक्षण किया जाएगा.

ई-कैमलएससी पद्धति के अंतर्गत मुख्य रूप से पर्यवेक्षित संस्थाओं की जोखिम प्रबंधन पद्धतियों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है. बैंक के कार्यनिष्पादन की रेटिंग हेतु ई-कैमलएससी मापदंडों पर आधारित एक नया पर्यवेक्षी रेटिंग मॉडल विकसित किया गया है. इस संबंध में, पर्यवेक्षित संस्थाओं और नाबार्ड के निरीक्षण अधिकारियों-दोनों के लिए विस्तृत मार्गदर्शी नोट जारी किए गए हैं. ई-कैमलएससी मॉडल के अंतर्गत निरीक्षण के सैद्धांतिक और व्यावहारिक पहलुओं पर क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की एक शृंखला भी आयोजित की गई है.

कैमलएससी = पूँजी पर्याप्तता, आस्ति गुणवत्ता, प्रबंधन, आय, चलनिधि, प्रणालियाँ तथा नियंत्रण और अनुपालन, जिमस बैंक = जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक; क्षेग्रा बैंक = क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक; एसई = पर्यवेक्षित संस्थाएँ; रास बैंक = राज्य सहकारी बैंक.

7.2.2 सुपरसॉफ्ट 2.0 का आरंभ

नाबार्ड ने 12 जुलाई 2022 को "सुपरसॉफ्ट" एप्लिकेशन की शुरुआत करके पर्यवेक्षी प्रक्रिया को डिजिटल बना दिया है. तब से सभी पर्यवेक्षित संस्थाओं का सांविधिक निरीक्षण सुपरसॉफ्ट के माध्यम से किया जा रहा है, जिससे मानवीय हस्तक्षेप कम हो रहा है और अनुपालन का अनुप्रवर्तन बढ़ रहा है.

पर्यवेक्षी परिदृश्य में तेजी से हो रहे परिवर्तन के बीच, ई-कैमलएससी मॉडल के क्रियान्वयन पर ध्यान केंद्रित करते हुए, सुपरसॉफ्ट को अब संस्करण 2.0 में अपग्रेड किया गया है, जिसमें अतिरिक्त पर्यवेक्षी प्रक्रियाएँ शामिल की गई हैं, तथा उपयोगकर्ता अनुभव को समृद्ध करने के लिए मौजूदा विशेषताओं को यथासंभव उच्चतम स्तर तक पहुँचाया गया है (चित्र 7.3).

चित्र 7.3: सुपरसॉफ्ट 2.0 के लाभ

7.2.3 एफएटीएफ पारस्परिक मूल्यांकन

भारत वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) का सदस्य है, जो धन शोधन विरोधी (एएमएल)/ आतंकवाद वित्तपोषण प्रतिरोधी (सीएफटी) मानकों का निर्धारण करने वाली एक वैश्विक संस्था है. ये मानक बैंकिंग क्षेत्र में अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी)/ एएमएल/ सीएफटी संरचना को भी दिशा देते हैं. तदनुसार, नाबार्ड द्वारा पर्यवेक्षित संस्थाएँ भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी केवाईसी/ एएमएल/ सीएफटी निर्देशों को कार्यान्वित करती हैं.

एफएटीएफ आवधिक रूप से देशों की गहन रिपोर्टों के रूप में पारस्परिक मूल्यांकन करता है जिसमें धन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने के उपायों के कार्यान्वयन और उनके प्रभावी होने का विश्लेषण किया जाता है. एफएटीएफ द्वारा संचालित भारत का दूसरा पारस्परिक मूल्यांकन नवंबर 2023 में किया गया (बॉक्स 7.2).

बॉक्स 7.2: नई दिल्ली में एफएटीएफ पारस्परिक मूल्यांकन आकलन टीम के साथ बातचीत की कार्यसूची

1. भारतीय वित्तीय प्रणाली में नाबार्ड द्वारा पर्यवेक्षित संस्थाओं का आकार
2. लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रीकरण, अथवा अन्य नियंत्रण
3. पर्यवेक्षित संस्थाओं में वरिष्ठ स्तर पर नियुक्ति हेतु कार्मिकों के लिए उचित सावधानी
4. वित्तीय क्षेत्र में एएमएल/ सीएफटी संबंधी जोखिमों के बारे में पर्यवेक्षकों और पर्यवेक्षित संस्थाओं की समझ
5. एएमएल/ सीएफटी संबंधी जोखिमों का शमन करना, उपचारात्मक कार्रवाई करना तथा पर्यवेक्षित संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले अनुपालन पर उन कार्रवाइयों के प्रभाव को समझना
6. पर्यवेक्षित संस्थाओं का क्षमता निर्माण: एएमएल/ सीएफटी संबंधी बाध्यकारी दायित्वों और जोखिमों के बारे में क्षेग्रा बैंकों और ग्रास बैंकों की समझ का संवर्धन

एएमएल = धन शोधन विरोधी, सीएफटी = आतंकवाद वित्तपोषण प्रतिरोधी, ग्रास बैंक = ग्रामीण सहकारी बैंक, क्षेग्रा बैंक = क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक,

केवाईसी/ एएमएल/ सीएफटी संरचना के बढ़ते महत्व को देखते हुए, नाबार्ड ने वित्तीय आसूचना एकक - भारत (एफआईयू-इंड), भारतीय प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और प्रतिभूति स्वत्व की केंद्रीय रजिस्ट्री (सीईआरएसएआई), भारतीय रिज़र्व बैंक और राजस्व विभाग, भारत सरकार के एफएटीएफ वर्टिकल के साथ अपने संपर्कों को सुदृढ़ बनाया है.

वित्तीय प्रणाली में केवाईसी/ एएमएल/ सीएफटी कार्यान्वयन को मजबूत करने हेतु एफआईयू-इंड क्षेग्रा बैंकों और ग्रास बैंकों के पर्यवेक्षक के रूप में नाबार्ड सहित वित्तीय क्षेत्र के अन्य विनियामकों के साथ नियमित बैठकें आयोजित करता है. नाबार्ड ने वर्ष के दौरान ऐसी दो बैठकों में भाग लिया जिनकी कार्यसूची में फिननेट 2.0 पोर्टल पर पर्यवेक्षित संस्थाओं का पंजीकरण, एफआईयू-इंड के साथ सूचना साझा करना, पर्यवेक्षित संस्थाओं द्वारा एएमएल सॉफ्टवेयर को अपनाना, रेड फ्लैग संकेतक आदि शामिल थे.

7.3 अन्य पर्यवेक्षी पहलें

7.3.1 धोखाधड़ी का अनुप्रवर्तन और समीक्षा

धोखाधड़ी के अनुप्रवर्तन और समीक्षा को अधिक प्रभावी और परिणामोन्मुख बनाने हेतु कई सुधार शुरू किए गए:

- सभी पर्यवेक्षित संस्थाओं में एकीकृत धोखाधड़ी रिपोर्टिंग प्रणाली लागू की गई और क्षेग्रा बैंकों और ग्रास बैंकों ने वित्त वर्ष 2024 में धोखाधड़ी के 481 मामले सूचित किए जिनकी राशि ₹384 करोड़ थी, जिसमें से ₹38 करोड़ की वसूली की जा चुकी है.
- नाबार्ड में केंद्रीय धोखाधड़ी अनुप्रवर्तन कक्ष (सीएफएमसी) ने क्षेग्रा बैंकों और ग्रास बैंकों में होने वाली धोखाधड़ियों की कार्यप्रणाली की जाँच की, मूल कारणों का विश्लेषण किया और भविष्य में धोखाधड़ियों को रोकने के उपाय सुझाए. 'चतुराईपूर्ण' (नए या अभिनव तरीकों से की जाने वाली) धोखाधड़ियों के मामले में, नाबार्ड ने क्षेग्रा बैंकों और ग्रास बैंकों को 'सतर्कता सूचना' जारी की.

वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और ग्रामीण सहकारी बैंकों में धोखाधड़ी की 481 घटनाओं की रिपोर्ट की गई जिनकी कुल राशि ₹384 करोड़ है. इसमें से ₹38 करोड़ की वसूली की जा चुकी है.

सीएफएमसी ने धोखाधड़ी के अधिक कठोर अनुप्रवर्तन हेतु नए मापदंडों को शामिल करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों की अर्धवार्षिक समीक्षा के प्रारूप को संशोधित किया. इसके अलावा, वित्त वर्ष 2024 के दौरान धोखाधड़ियों में सूचित की गई कार्यप्रणाली के आधार पर, एक जाँच-सूची विकसित की गई और निरीक्षण रिपोर्ट में उन्हें सत्यापित करने और उन पर टिप्पणी करने हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ साझा की गई.

दबाव परीक्षण से पर्यवेक्षित संस्थाएं ट्रिगर और शॉक को ठीक से पहचान सकती है, सुधार के उपायों का दस्तावेज़ीकरण कर सकती है और मार्गदर्शी सिद्धांतों को अपनाकर तथा उन्हें लागू कर उनका एक्टिवेशन कर सकती हैं.

7.3.2 ऋण अनुप्रवर्तन व्यवस्था

नाबार्ड ग्रामीण सहकारी बैंकों द्वारा अलग-अलग श्रेणियों - व्यक्ति, इकाई और सेक्टर - के अंतर्गत ऋण अनुप्रवर्तन व्यवस्था (सीएमए) के उल्लंघनों की जाँच करता है और सीएमए एक्सपोज़र को कम करने हेतु पर्यवेक्षित संस्थाओं द्वारा शुरू की गई कार्रवाइयों की समीक्षा करता है. एस्केलेशन मैट्रिक्स सीएमए उल्लंघनों के विस्तार को दर्शाता है और अपेक्षित पर्यवेक्षी कार्रवाई निर्धारित करता है. लगातार 3 वर्ष तक सीएमए मानदंडों का उल्लंघन यह इंगित करता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा-लागू) की धारा 22(3)(ख) का अनुपालन नहीं हो रहा है.

7.3.3 दबाव-परीक्षण पर दिशानिर्देश

यह दृढ़ता से महसूस किया गया कि नाबार्ड द्वारा पर्यवेक्षित संस्थाओं को आघातों के समक्ष जोखिम प्रबंधन उपकरण के रूप में 'दबाव परीक्षण' करने की आवश्यकता है. तदनुसार, बैंकों को यह सुनिश्चित करने हेतु सूचित किया गया कि उनकी औपचारिक दबाव-परीक्षण संरचनाओं का परिचालन 31 मार्च 2024 से निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार शुरू हो जाए. इन संरचनाओं को इस प्रकार डिज़ाइन किया गया है कि पर्यवेक्षित संस्थाएँ ट्रिगर बिंदुओं को ठीक से पहचान सकें, उपचारात्मक कार्रवाइयों का दस्तावेजीकरण कर सकें और संगत मार्गदर्शी सिद्धांतों को सक्रिय करने के लिए उन्हें अपना सकें और लागू कर सकें.

7.3.4 पर्यवेक्षी कार्रवाई संरचना - टर्न अराउंड हेतु अपनी पहल

ग्रास बैंकों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से 'पर्यवेक्षी कार्रवाई संरचना - टर्न अराउंड हेतु अपनी पहल (एसएएफ-एसआईटीए)' योजना शुरू की गई. इस तरह की स्व-सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करने हेतु, जोखिम-भारित आस्तियों की तुलना में पूँजी के अनुपात के रूप में मापी गई पूँजी पर्याप्तता, निवल और सकल अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के प्रतिशत के रूप में मापी गई आस्ति गुणवत्ता और लगातार घाटे के संदर्भ में मापी गई लाभप्रदता जैसे मापदंडों पर ट्रिगर बिंदु शुरू किए गए हैं. कमी की प्रकृति के आधार पर, स्व-सुधारात्मक कार्रवाई में पूँजी संवर्धन, एनपीए की सूक्ष्म निगरानी और वसूली, लाभप्रदता में सुधार, कम लागत वाली जमाराशियों का संग्रहण आदि उपाय शामिल हैं. एसएएफ–एसआईटीए को 1 अप्रैल 2024 से लागू किया गया.

7.3.5 पर्यवेक्षित संस्थाओं हेतु वरिष्ठ पर्यवेक्षी प्रबंधक

₹25,000 करोड़ से अधिक की आस्तियों वाली चुनी हुई पर्यवेक्षित संस्थाओं के लिए नाबार्ड वरिष्ठ पर्यवेक्षी प्रबंधकों की नियुक्ति की प्रक्रिया में है जो ऋण, बाजार, परिचालन और प्रबंधन जोखिमों पर उनसे लगातार संपर्क बनाए रखेंगे.

7.3.6 क्षमता निर्माण

बैंक पर्यवेक्षण एक अत्यधिक विशिष्ट कार्यक्षेत्र है और निरीक्षण अधिकारियों को 'संकट के समय अनिश्चितताओं के पार देखने' और 'संकट को पहले से ही भाँपने' के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए. इस उद्देश्य से, वित्त वर्ष 2024 के दौरान क्षमता निर्माण के कई प्रयास किए गए.

- क्षेत्रीय कार्यालयों में पर्यवेक्षी भूमिका निभाने वाले अधिकारियों के लिए जयपुर, पुणे, राँची और हैदराबाद में आंचलिक कार्यशालाओं में नाबार्ड की नवीनतम नीतिगत पहलों और परिपत्रों पर विचार-विमर्श किया गया. इन कार्यशालाओं में भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रवर्तन विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ रिज़र्व बैंक के केंद्रीय और क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों के सत्र शामिल थे, जिन्होंने नाबार्ड की निरीक्षण रिपोर्टों पर अपनी टिप्पणियाँ साझा कीं.
- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्थापित पर्यवेक्षक महाविद्यालय न केवल अपने कार्मिकों के पर्यवेक्षी कौशल को मजबूत करता है, बल्कि नाबार्ड सहित अन्य वित्तीय पर्यवेक्षी संस्थाओं के अधिकारियों के पर्यवेक्षी कौशल को भी सुदृढ़ करता है. वित्त वर्ष 2024 के दौरान, नाबार्ड प्रधान कार्यालय के 38 अधिकारियों और क्षेत्रीय कार्यालयों के 43 अधिकारियों ने पर्यवेक्षक महाविद्यालय के 36 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया. इन कार्यक्रमों में ऋण, बाजार, चलनिधि, सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित जोखिमों, साइबर जोखिमों, बैंक अभिशासन, नेतृत्व, वित्तीय प्रौद्योगिकी, पर्यवेक्षी प्रौद्योगिकी, वित्तीय स्थिरता, लेखांकन मानकों, दबाव-परीक्षण, अर्थमिति (इकोनॉमैट्रिक्स) और डेटा विश्लेषण आदि विषयों को शामिल किया गया.

- ग्रास बैंकों और क्षेग्रा बैंकों के प्रमुख अधिकारियों हेतु बैंकर ग्रामीण विकास संस्थान (बर्ड), लखनऊ और बर्ड, मंगलुरु में केवाईसी, एएमएल और सीएफटी पर एक-दिवसीय कार्यशालाएँ आयोजित की गईं. इनमें एफआईयू-इंड, सीईआरएसएआई, रिज़र्व बैंक और निजी क्षेत्र के एक एएमएल सॉफ्टवेयर सेवा प्रदाता के अधिकारियों ने नाबार्ड के साथ सत्रों का संचालन किया.

बैंक पर्यवेक्षण के क्षेत्र में नवीनतम जानकारी के प्रसार के लिए एक मासिक समाचार पत्र *इनक्विजिटिव* के 12 अंक प्रकाशित किए गए, जिनमें केवाईसी/ एएमएल/ सीएफटी से लेकर साइबर सुरक्षा संरचना में एफएटीएफ की भूमिका जैसे विषयों को शामिल किया गया.

7.4 सूचना प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा पहलें

पर्यवेक्षित संस्थाओं की साइबर सुरक्षा तैयारियों के अनुप्रवर्तन को उन्नत बनाने के लिए नाबार्ड में 2018 में स्थापित साइबर सुरक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी परीक्षण (सीएसआईटीई) कक्ष ने वित्त 2024 के दौरान कई कदम उठाए हैं.

- **सूचना प्रौद्योगिकी/ सूचना प्रणाली (आईटी/ आईएस) परीक्षण का परिचालन:** 88वें पर्यवेक्षण बोर्ड ने क्षेग्रा बैंकों और ग्रास बैंकों के आईटी परीक्षण के परिचालन को मंजूरी प्रदान की जो उनकी डिजिटल गहनता और भुगतान प्रणाली से आपस में जुड़ाव पर आधारित है. तदनुसार, वित्त 2024 के दौरान, 4 क्षेग्रा बैंकों, 13 रास बैंकों और 1 जिमस बैंक सहित स्तर III और IV की 18 पर्यवेक्षित संस्थाओं का आईटी परीक्षण किया गया. आईटी/ आईएस परीक्षण का उद्देश्य संस्थाओं की साइबर सुरक्षा संरचना का मूल्यांकन करना है और इसमें निम्नलिखित की जाँच शामिल है:
  - आईटी/आईएस और साइबर सुरक्षा नीतियाँ
  - पर्याप्तता संरचनाएँ
  - समितियों का कामकाज
  - उनके स्तर के आधार पर निर्धारित साइबर सुरक्षा नियंत्रणों का कार्यान्वयन, और
  - भारतीय रिज़र्व बैंक, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना आधारभूत संरचना संरक्षण केंद्र, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) और बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास और अनुसंधान संस्थान द्वारा प्रेषित परामर्शों और चेतावनियों का अनुपालन.
- **साइबर सुरक्षा जागरूकता माह का आयोजन:** सीएसआईटीई कक्ष ने अक्टूबर 2023 में साइबर सुरक्षा जागरूकता माह का आयोजन किया. इस माह के दौरान निम्नलिखित गतिविधियाँ आयोजित की गईं:
  - पर्यवेक्षित संस्थाओं के शीर्ष प्रबंधन (अध्यक्षों, मुख्य कार्यपालक अधिकारियों और प्रबंध निदेशकों सहित) के लिए वेबिनार
  - सहकारी प्रशिक्षण संस्थाओं के संकाय सदस्यों के लिए वेबिनार
  - पर्यवेक्षित संस्थाओं के मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों (सीआईएसओ) के लिए कार्यशाला
  - साइबर सुरक्षा पर डिजिटल सामग्री का प्रसार
    - पर्यवेक्षित संस्थाओं के लिए ऑनलाइन सुरक्षा हेतु थीम-आधारित मार्गनिर्देश
    - पर्यवेक्षित संस्थाओं के लिए साइबर सुरक्षा स्थिति के संवर्धन पर 31 दिवसीय सूत्र
  - नाबार्ड कर्मचारियों के लिए साइबर सुरक्षा पर ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी
- सीएसआईटीई कक्ष ने वित्त 2024 के दौरान-
  - 221 परामर्श और 10 चेतावनियाँ जारी कीं;
  - साइबर सुरक्षा के अतिक्रमण की 14 घटनाओं पर पर्यवेक्षित संस्थाओं का मार्गदर्शन किया;
  - पर्यवेक्षित संस्थाओं और क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए 18 साइबर सुरक्षा जागरूकता सत्र आयोजित किए;
  - सर्ट-इन, रिज़र्व बैंक और नाबार्ड द्वारा जारी नए परिपत्रों और उद्योग की सर्वोत्तम पद्धतियों पर आधारित साइबर सुरक्षा भेद्यता सूचकांक को संशोधित किया; और
  - उभरते वैश्विक प्रौद्योगिकी वातावरण के बारे में अपने ज्ञान को अद्यतन करने के उद्देश्य से बैंकिंग प्रौद्योगिकी, उपकरण और सेवाओं पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले और सम्मेलन में एक टीम-विज़िट आयोजित की.

सीएसआईटीई कक्ष ने अक्टूबर 2023 में साइबर सुरक्षा जागरूकता माह का आयोजन किया.

7.5 आगे की राह

नाबार्ड ने वित्त वर्ष 2025 में जिन पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं को लागू करने का लक्ष्य रखा है, वे इस प्रकार हैं:

- **सुपरसॉफ्ट 2.0 के चरण:** सुपरसॉफ्ट 2.0 को वित्त वर्ष 2025 के दौरान विभिन्न चरणों में लॉन्च किया जाएगा, जिसमें प्रारूपों को संशोधित करने, रेटिंग मॉड्यूल को लागू करने, मोबाइल एप्लिकेशन शुरू करने और आईटी परीक्षण आयोजित करने जैसी महत्वपूर्ण उपलब्धियों को हासिल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा.
- **परियोजना समीक्षा:** 2020 में जारी किए गए निरीक्षण मार्गदर्शन नोट की समग्रतामूलक समीक्षा, पर्यवेक्षण से संबंधित परिपत्रों के समेकन और सुपरसॉफ्ट की जाँचसूची के पुनरीक्षण का कार्य किया जाएगा.
- **केवाईसी/ एएमएल को उन्नत बनाना:** नाबार्ड ने बेहतर जोखिम-आधारित अनुप्रवर्तन के लिए केवाईसी विवरणियों की प्रभावशीलता और उनमें आशोधन की आवश्यकता का आकलन करने के लिए पर्यवेक्षित संस्थाओं में केवाईसी/ एएमएल तंत्र के अलग से परीक्षण की योजना बनाई है.
- **धोखाधड़ी का अनुप्रवर्तन:** सुपरसॉफ्ट एप्लिकेशन में धोखाधड़ी के अनुप्रवर्तन की त्वरित अध्ययन रिपोर्ट/ पोर्टफोलियो निरीक्षण रिपोर्ट का मानकीकरण और डिजिटलीकरण-जिसमें बैंक द्वारा हासिल की गई प्रगति को अद्यतन करने के विकल्प शामिल हों.
- **साइबर सुरक्षा उपाय:** साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए नाबार्ड ने वित्त2025 में निम्नलिखित उपायों को लागू करने का लक्ष्य रखा है:
  - 24 पर्यवेक्षित संस्थाओं का आईटी परीक्षण (प्रतिमाह 2).
  - सुपरसॉफ्ट एप्लिकेशन में आईटी परीक्षण जाँचसूची (मॉड्यूल) का विकास और सुपरसॉफ्ट पर आईटी/ आईएस परीक्षण आयोजित करना.
  - प्रभावी साइबर सुरक्षा अनुपालन पर साइबर और सूचना सुरक्षा अधिकारियों के लिए कार्यशाला.
  - आवश्यक परिवर्तनों और अद्यतन स्थितियों को शामिल करने हेतु साइबर सुरक्षा परिपत्रों में संशोधन.
  - देश के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में निरीक्षण अधिकारियों हेतु साइबर सुरक्षा परीक्षण पर तीन कार्यशालाएँ.
  - अतिक्रमण की घटना की रिपोर्टिंग से जुड़ी विवरणी का संशोधन और एनश्योर 2.0 में माइग्रेशन.
- **ईएफडी, भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त संप्रेषणों के लिए अनुप्रवर्तन प्रणाली:** ईएफडी, भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त संप्रेषणों के जवाब/कार्रवाई में लगने वाले समय को ट्रैक करने के लिए नाबार्ड डिजि-डाक का उपयोग करेगा.
  - एक नई सुविधा विकसित की जाएगी जिसके माध्यम से क्षेत्रीय कार्यालयों के डिजि¬-डाक में लंबित सभी ईएफडी मामलों को देखा जा सकेगा और साथ ही लंबित प्रश्नों की निगरानी हेतु एक फ़िल्टर भी उपलब्ध रहेगा.
  - डिजि-डाक के माध्यम से, लंबित ईएफडी मामलों में संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रणाली-जनित अनुस्मारक भेजे जाएँगे.
  - डिजि-डाक में एक नई सुविधा शुरू की जाएगी ताकि ईएफडी मामलों में सीधे एस्केलेशन रिमाइंडर भेजे जा सकें.
- **पर्यवेक्षण विभाग (डॉस) 08 डैशबोर्ड:** नाबार्ड ने उपयोगकर्ताओं को उनकी शिकायतों की स्थिति देखने में सक्षम बनाने हेतु डॉस 08 विकसित किया था. डैशबोर्ड निम्नलिखित जानकारी प्रदान करेगा:
  - वर्षवार लंबित, प्राप्त, बंद और निपटाई गई कुल शिकायतों की संख्या
  - माह/ शिकायत के प्रकार के अनुसार प्राप्त शिकायतों की संख्या
  - सर्वाधिक प्राप्त/ लंबित शिकायतों वाले शीर्ष 10 क्षेत्रीय कार्यालय
  - शिकायत की अवधि
  - शिकायतों की राज्यवार संख्या

नोट

1. कैमलएससी = पूँजी पर्याप्तता, आस्ति गुणवत्ता, प्रबंधन, आय, चलनिधि, प्रणालियाँ तथा नियंत्रण और अनुपालन.

अध्याय 7 का परिशिष्ट

चित्र अ 7.1: 31 मार्च 2024 की स्थिति में पर्यवेक्षित संस्थाओं के अनुपालन की स्थिति

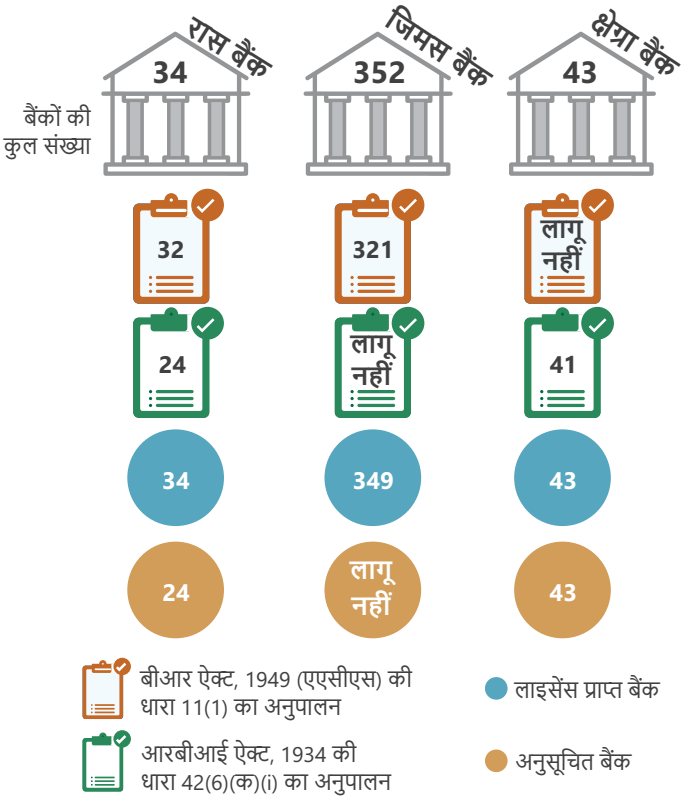

एएसीएस = सहकारी समितियों पर यथा लागू, बीआर ऐक्ट = बैंककारी विनियमन अधिनियम, जिमस बैंक = जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक, आरबीआई ऐक्ट = भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, क्षेग्रा बैंक = क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रास बैंक = राज्य सहकारी बैंक.

नोट:

- जिमस बैंकों में तमिलनाडु इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड शामिल है.
- तीन गैर-लाइसेंस प्राप्त जिमस बैंक हैं बारामुला, अनंतनाग और जम्मू जिमस बैंक.
- जिमस बैंकों में मलप्पुरम जिमस बैंक शामिल है जिसका केरल रास बैंक में विलय हो चुका है लेकिन मामला न्यायालय के विचाराधीन है.
- 31 मार्च 2023 की स्थिति में अनुपालन की स्थिति (निरीक्षित आँकड़े).

स्रोत: एनश्योर पोर्टल, नाबार्ड से प्राप्त डेटा.

चित्र अ7.2: 31 मार्च (प्रासंगिक वर्ष की) की स्थिति में कार्य-निष्पादन संकेतकों के अनुसार बैंकों की संख्या

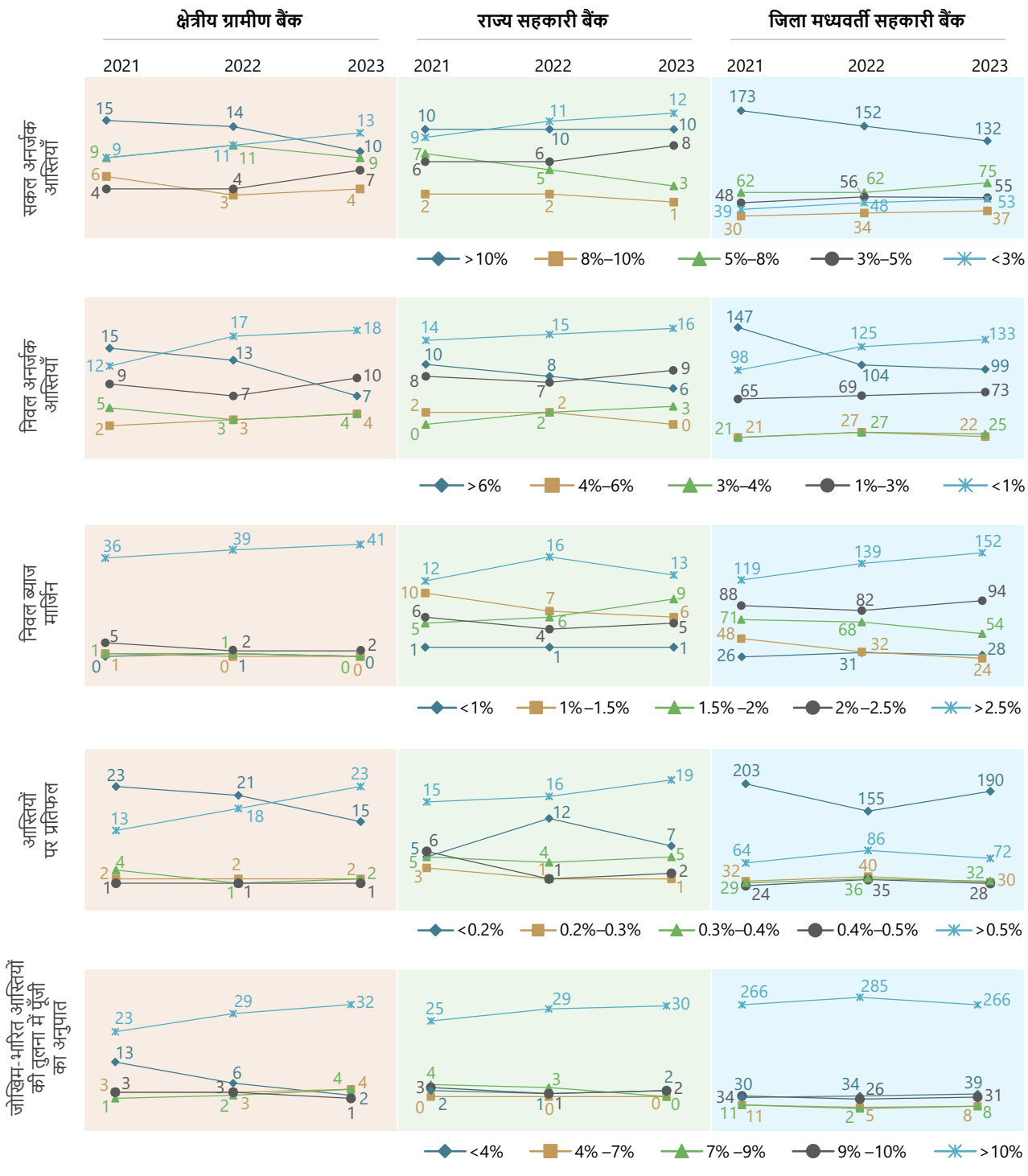

	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक			राज्य सहकारी बैंक			जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
निरीक्षित और/ या लेखापरीक्षित बैंक	43	43	43	34	34	34	352	352	352

सभी निरीक्षित और/ या लेखापरीक्षित बैंक	2021	2022	2023
	429	**429**	**429**

चित्र अ7.3: 31 मार्च (प्रासंगिक वर्ष की) की स्थिति में रेटिंग के अनुसार बैंकों की संख्या

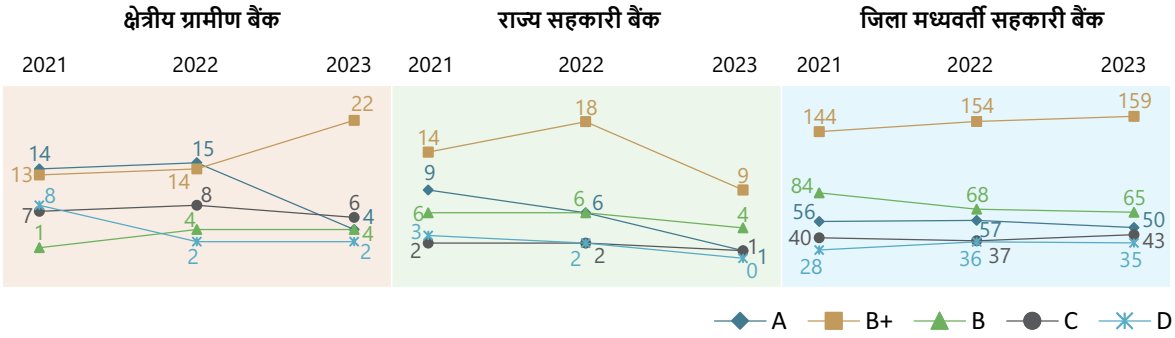

	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक			राज्य सहकारी बैंक			जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
बैंकों को प्रदत्त रेटिंग	**43**	**43**	**38**	**34**	**34**	**15**	**352**	**352**	**352**

सभी बैंकों को प्रदत्त रेटिंग	**429** 2021	**429** 2022	**405** 2023

चित्र अ7.2 और अ7.3 हेतु नोट:

- प्रत्येक चित्र के लेजेंड में प्रतिशत रेंज उस चित्र के विशिष्ट कार्य-निष्पादन संकेतक से संबंधित है. उदाहरणार्थ, सकल अनर्जक आस्तियों के चित्र में, प्रतिशत सीमा सकल अनर्जक आस्तियों से संबंधित है.
- क्षेग्रा बैंकों और रास बैंकों हेतु प्रस्तुत डेटा निरीक्षणों (नवीनतम उपलब्ध आँकड़े) के अनुसार हैं.
- जिमस बैंकों हेतु डेटा निरीक्षण या लेखापरीक्षा के अनुसार उपलब्ध है.
- जहाँ भी जिमस बैंक का निरीक्षण नहीं किया गया था, वहाँ पिछली रेटिंग दोहराई गई है.

स्रोत: एनश्योर पोर्टल, नाबार्ड से प्राप्त डेटा.